



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19443 वर्ष 2025

दुर्गेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	रोहित कुशवाहा, शरद चंद्र श्रीवास्तव
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पिता, जो होम गार्ड के रूप में कार्यरत थे, का 8 जून 2016 को निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता मृतक का पुत्र होने का दावा करता है। उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और 28 सितंबर 2019 को उसे इस संबंध में सूचना दी गई थी, हालांकि, आज तक उसके मामले पर विचार नहीं किया गया है।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. श्री बी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2025 का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए 157 उम्मीदवारों के विलंबित आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। विद्वान स्थायी अधिवक्ता से यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूछे जाने पर कि क्या व्यक्तिगत रूप से कोई विचार किया गया था और क्या रिट याचिकाकर्ता को अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था, उनका उत्तर नकारात्मक था।

5. अधिवक्ताओं के ऐसे निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता के मामले का **निस्तारण किया गया**, उसे अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार हेतु प्रतिवादी संख्या 3, जिला कमांडेंट, होम गार्ड, चंदौली, जिला चंदौली से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है। प्राधिकारीगण इस दावे पर विचार करेंगे और यदि रिट याचिकाकर्ता का दावा कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो इसकी सूचना दी जाएगी। यदि कोई बात शेष रह जाती है तो रिट याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर दूसरे पदधारी के प्रतिस्पर्धी दावों, निरंतरता आदि के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए।

6. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश